न्यायालय उप जिलाधिकारी, कर्वी (चित्रकूट)

वाद संख्या– 17 /2012

धारा–143 जेडए0एक्ट,
मौजा–रगौली,
त0ब0 कर्वी, जनपद चित्रकूट।

छत्रपति शाहू जी महाराज सेवा संस्थान बल्दाऊगंज कर्वी तहसील कर्वी, चित्रकूट, द्वारा– प्रबंधक रामकृपाल सिंह पुत्र भगवानदीन निवासी बल्दाऊगंज कर्वी तहसील कर्वी जिला चित्रकूट।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

निर्णयादेश

प्रार्थी रामकृपाल सिंह पुत्र श्री भगवानदीन, निवासी बल्दाऊगंज कर्वी जनपद चित्रकूट प्रबंधक छत्रपति शाहू जी महाराज सेवा संस्थान बल्दाऊगंज कर्वी, तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि आराजी नं0 542 रकबा 2.050 हे0, मा0गु0 16.90 रू0 मौके पर छत्रपति शाहू जी महाराज सेवा संस्थान स्थित है और मौके पर उक्त सेवा संस्थान स्थित होने के कारण उक्त भूमि पर कृषि कार्य व उससे सम्बन्धित किसी प्रकार का कृषि उत्पादन नहीं हो रहा है न ही उक्त भूमि जोती–बोयी जाती है । उक्त भूमि मौके पर आबादी से आच्छादित है । अतः उक्त भूमि को गैर कृषि प्रयोजन की भूमि उद्घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार कर्वी से जांच कराकर आख्या प्राप्त की गयी, जो संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार कर्वी ने अपनी जांच आख्या दिनांक 23.04.2012 में उल्लिखित किया है कि मौजा रगौली परगना व तहसील कर्वी, जनपद चित्रकूट का आराजी नं0 542मि0 रकबा 2.050 हे0 मा0गु0 16.90 रुपया पर खातेदार छत्रपति शाहूजी महाराज सेवा संस्थान बल्दाऊगंज कर्वी, तहसील कर्वी, जिला चित्रकूट द्वारा प्रबन्धक रामकृपाल सिंह पुत्र भगवानदीन, निवासी बल्दाऊगंज कर्वी, तहसील कर्वी के नाम संकलनीय भूमिधरी दर्ज है । उक्त भूमिधर आवेदक द्वारा संस्थान का निर्माण कर लिया है और उक्त भूमि को आवेदक गैर कृषि प्रयोजन हेतु आबादी घोषित कराते हुए लगान मुक्त कराना चाहता है । माटा सं0–542मि, रकबा 2.050 हे0 मा0गु0 16.90रुपया से लगान मुक्त कर गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

अतः तहसीलदार कर्वी की आख्या दिनांक 23.04.2012 के आधार पर प्रार्थी उपरोक्त के नाम 4ज मौजा रगौली तहसील कर्वी जनपद चित्रकूट में स्थित माटा संख्या 542मि0 रकबा 2.050हे0 मा0 गु0–16.90 रू0 को लगान मुक्त करते हुए गैर कृषि प्रयोजन के रूप में उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार अनुपालन हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार कर्वी को भेजी जाय। साथ आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक 28.05.2012

उप जिलाधिकारी,
कर्वी।